तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/6/18	वकुला: ए० फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षान सुनी गई। वकील प्रार्थी के तर्क रहे कि उनके हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ते 5 दीगर व्यक्ति को बेचन पर आमादा है। प्रतिवादीगण वकील के तर्क रहे कि कोई बेचान हस्तांतरण नही किया जा रहा है। यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि बेचना चाहता है तो उसे रोका नही जा सकता चूंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः किसी सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ते 5 विवादित आराजी मे सह खातेदार है। ऐसी स्थिति मे उभयपक्षान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत है। वाद का मेरिट पर तय किया जाना है। अतः वर्तमान स्थिति मे उभयपक्षान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तापैसला वाद तक पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी को बेचान हस्तान्तरण आदि नही करे। मिसल कैफियत शुमार होकर नम्बर दे कर हो बाद दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

(सुरेश चावला)
[illegible] अधि. एवं [illegible]
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 14:45:44 IST
Reason: SelfAttested